27/2/20. पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूलवाद खारिज हो जाने से T.I प्रार्थना पत्र का existence स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः मूलवाद खारिज होने से T.I प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता विपक्षी को सुना गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मूल वाद सं० 39/11 की आदेश दि० 16/8/13 व Revenue board के आदेश दि० 2 जुलाई, 2013 का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र 212 RTA का मूल वाद सं० 39/2011 दि० 16/8/13 को खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के साथ ही यह प्रार्थना पत्र उसका ~~[illegible]~~ भाग होने से मूल वाद के अभाव में यह प्रार्थना पत्र 212 RTA का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर सम्बद्ध [illegible] की जावे। मूल वाद के साथ रहे।

Web Copy - Not Official